# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3330–एक/14 जिला देवास

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 09–02–15 | यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के अपील प्रकरण क्रमांक 105/13–14 में पारित आदेश दिनांक 11–09–2014 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है।<br>2/ मैने उभय पक्ष के विव्दान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अतिरिक्त तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 131 के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31–01–2014 व्दारा रूढ़िगत मार्ग सिध्द नहीं होने से निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 11–09–14 व्दारा निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखा है। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।<br>3/ आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि तहसील न्यायालय व्दारा रास्ते के चिन्ह विद्यमान नहीं होने से अंतरिम आदेश पारित कर मात्र पैदल जाकर खेती देखने के आदेश दिये थे जिसे रूढ़िगत रास्ता | |

मानते हुए तहसील न्यायालय ने बैलगाड़ी आदि का रास्ता दिया है जो साक्ष्य के विपरीत है। अनावेदकगण ने कुछ भूमि विक्रय की गयी है और उनके व्दारा तारफेसिंग करने से अनावेदकगण का रास्ता अवरूध्द हुआ है। साक्षी प्रकाश ने अपने कथन में रास्ते के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की है किन्तु उसके कथन पर विचार नहीं किया गया। उनका तर्क है कि संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि निगरानीकर्त्ता के सर्वे नम्बर 181 की दक्षिण मेड़ से चलते हुए निगरानीकर्त्ता के ही अन्य सर्वे नम्बर 182 की दक्षिणी मेड़ व सर्वे नम्बर 184 की उत्तरी मेड़ दोनों के बीच में से होते हुए अनावेदक अपनी भूमि सर्वे नं0 161 व 160 में आगे जाते हैं और खेती करते हैं। आवेदकगण ने सर्वे नम्बर 184 की उत्तरी मेड़ तथा सर्वे नं0 182 की दक्षिण मेड़ जो कि सर्वे नं0 161 से लगी हुई है, पर बने हुए रास्ते को हॉक दिया और रास्ते को बन्द कर दिया। अनावेदकगण को उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है। अनावेदकगण व्दारा प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत होना साक्ष्य से सिध्द किया है। तहसील न्यायालय ने रूढ़िगत रास्ता प्रमाणित होने से रास्ता खोले जाने के आदेश दिये जिसे बिना किसी

3

आधार के अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में त्रुटि की गयी, इसलिये अपर आयुक्त व्दारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है। उन्होंने राजस्व निर्णय 1969 रा.नि. 451 तथा 1969 रा.नि. 63 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ संहिता की धारा 131 में यह प्रावधान है कि विवाद होने पर तहसीलदार स्थानीय जॉच करने के पश्चात उस मामले को, प्रत्येक मामले विषयक पूर्व रूढ़ि के प्रति निर्देश करके तथा समस्त संबंधित पक्षकारों की सुविधा को सम्यक ध्यान रखते हुए, निश्चित कर सकेगा। इससे स्पष्ट है कि रूढ़िगत रास्ता साक्ष्य से सिध्द होने पर ही संबंधित पक्षकारों की सुविधा का सम्यक ध्यान रखते हुए तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा सकता है। तहसीलदार ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि –

''उभय पक्षों के विव्दान अभिभाषक की बहस श्रवण किया, तद्उपरान्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूॅ कि पूर्व में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29–02–2012 में प्रार्थीगण को पैर पैदल रास्ते का उपयोग करने संबंधीत आदेश पारित किया गया था। जबकि कृषि कार्य हेतु पैर पैदल रास्ते के उपयोग से कृषि कार्य करना संभव नहीं है। इसलिये बैलगाड़ी, मवेशी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने की आवश्यकता

जरूरी है। उपरोक्त रास्ता प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के कथन साक्ष्य वं प्रतिपरीक्षण से भी सिध्द होता है।''

उक्त आदेश को साधारण पढ़ने से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 29–2–12 व्दारा पैर पैदल का रास्ता दिये जाने से उसे बैलगाड़ी, मवेशी आदि का रास्ता मानते हुए संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 के अन्तर्गत आदेश पारित किये हैं। तहसीलदार ने अपने आदेश में साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला गया कि किस प्रकार प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता होना साक्ष्य से प्रमाणित है। मैंने अंतरिम आदेश दिनांक 29–2–12 का भी अवलोकन किया। अंतरिम आदेश में भी यह अंकित है कि 'जहॉ तक फसल का सवाल है आवेदक के खेत में फसल बोई जा चुकी है और वह पकने की स्टेज पर है. यदि आवेदक के पास कोई रास्ता नहीं होता तब वह अपने खेत में फसल कैसे बोता।' ऐसी दशा में अन्तरिम आदेश के आधार पर प्रश्नाधीन रास्ते को रूढ़िगत रास्ता मानते हुए आदेश पारित करने में तहसीलदार व्दारा त्रुटि करने से उसे अनुविभागीय अधिकारी व्दारा निरस्त करने में कोई गलती नहीं की गयी है। व्दितीय अपील में विव्दान अपर आयुक्त व्दारा साक्षियों के कथनों के आधार पर स्वयं कोई निष्कर्ष निकाले बिना ही व्दितीय अपील स्वीकार की गयी है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी

5

| | | |
|---|---|---|
| | आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 11–09–14 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–01–14 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किये जायें तथा राजस्व मण्डल का अभिलेख दाखिल अभिलेखागार किया जाय।<br><br>(एम0 के0 सिंह)<br>सदस्य | |

20रु. Rs.20
बीस रुपये TWENTY RUPEES

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2014 निगरानी R- 3330- I/14

1 माखनसिंह पिता देवीसिंह,

2 पोपसिंह पिता देवीसिंह,

3 लीलाबाई विधवा देवीसिंह,

4 चंदरबाई पति पोपसिंह,

— जाति अहिर

— निवासीगण डकाच्या तेह. सोनकच्छ जिला देवास

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1 उमरावसिंह पिता नारायणसिंह

2 सुरजसिंह पिता नारायणसिंह

3 विमलाबाई विधवा चंदरसिंह

4 रमेशचंद्र पिता नंदराम

5 दिलीपसिंह पिता नंदराम

6 केदारसिंह पिता नंदराम

7 रेवाराम पिता दलाजी

— जाति अहिर

— निवासीगण डकाच्या ... सोनकच्छ जिला देवास

——— अनावेदकगण

## पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 105/2013–14/अपील मे पारित आदेश दिनांक 11.9.2014 से असंतुष्ट होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।